UPHR010015642026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(जे०ओ० कोड यू०पी० 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–703/2026

भोला पुत्र कोमल, निवासी ग्राम धुमरी थाना जैथरा जनपद एटा।

---------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांकः 19.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त भोला की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–13/2026, अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2) बी०एन०एस०, थाना लोनार, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में पिंकी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा इरफान की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 31.01.2026 को समय लगभग 04.45 बजे शाम को अपने डाला TATA ACE नंबर UP32KN5387 को लेकर फर्रूखाबाद जा रहा था। अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। बावन नहर पुल के पास वह शौच के लिए चला गया। जब लौटकर आया तो उसका डाला TATA ACE किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। काफी तलाश की, लेकिन नहीं मिला।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का कोई साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चोरी किसी अज्ञात चोर द्वारा की गयी है। उसके पास से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी दिखाई गई है वह थाने पर लाकर फर्जी लगा दी गई है। बरामदगी

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.19 16:52:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसको किसी भी मुकदमें में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अभियोग है कि उसने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का डाला TATA ACE नंबर UP32KN5387 की चोरी की। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्जे से उक्त डाला की बरामदगी होनी गयी है, किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त के ऊपर इस प्रकरण के अतिरिक्त कई अन्य मुकदमें भी पंजीकृत होना दर्शित किया गया है, किन्तु किसी भी मुकदमें में दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 01.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **भोला** का जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानती सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 19.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।